Production of hank yarn should be such that it fully meets the requirements of the handloom sector. A kind of levy system may be evolved under which 50 per cent of the hank yarn production is procured and distributed to handloom weavers by the NHDC. The remaining 50 per cent of hank yarn may be allowed to be sold in open market by the textile mills. Then, it will be possible to ensure supply of cotton yarn to weavers at stabilised and reasonable prices and to avoid a crisis in the handloom industry. If the matter is left to the market forces only, the long-cherished objective of supply of yarn at reasonable and stable prices so as to sustain the employment in the handloom sector, cannot be achieved, and the periodical crisis in the handloom industry cannot be avoided.

I would like to quote the statement of Dr. Manmohan singh, which he made during his address to industrialists in Delhi on 19-4-94:

"Everything cannot be left to market forces." ... (Time bell rings)

One sentence, Sir.

Lastly, 1 request you kindly to sympathise with the suffering and starving hand-loom weavers and direct the authorities to go to the rescue of the hapless and helpless handloom weavers.

Thank you, Mr. Vice-Chairman.

Clearance for the construction of Shillong by-pass

DR. B. B. DUTTA (Nominated): Thank you. Mr. Vice-Chairman. for allowing me to raise *a* matter of crucial improtance for us.

The city of Guwahati is linked to the National Highway through the Shiliong Barak Bridge, with the rest of Assam and the States of Tripura, Mizoram and Mani-pur. This is the lifeline of the southern areas of the entire North-Eastern region. Thousands of trucks are plying everyday. There are other innumerable vehicles of all descriptions carrying timber, coal and minerals. The entire National Highway passes through the heart of Shiliong City. The Shiliong City which is one of the finest amongst the hill stations in the world, is overcrowded with people and vehicles, and there is terrible traffic congestion inside the City.

Mr. Vice-Chairman, you are aware that the area of Shiliong is very much susceptible to law and order problems. The police and the para-military forces cannot discharge their duties effectively because of lack of proper mobility. In fact, from Barapani to Shiliong up to Jowai town, the entire sector is full of perennial traffic jam for hours and hours. We find miles after miles of trucks lined up.

Because of that, the Government ot Meghalaya submitted a proposal for construction of the Shiliong bypass. The whole estimate is for only Rs. 40 crores including 7 crores land compansation and per year the expenditure will not be more than seven to ten crores of rupees. This proposal is shuttling between the Surface Transport Ministry and the Finance Ministry and no decision has been arrived at till today. We are going to cross half a century of our freedom. Shiliong, which was considered as the queen of hill stations, which was the main seat of British administration for more than 100 years, which is now the capital of Meghalaya, which was the capital of the united Assam and which is the cultural capita] of the entire North-Eastern region, has now become, not a beautiful city, but a bottleneck. So, I ask whether Rs. 10 crores per year is a very big amount of money to relieve the highly congested Southern areas of the region from shiliong congestions.

1 earnestly request this august House to ask the Su face Transport Ministry and the Union Finance Ministry to clear this project immediately. This project is of crucial importance.

SHRI DAVID LEDGER (Meghalaya): Sir, with your permission, I would like to associate myself with the Special Mention raised by Prof. B. B. Dutta,

Law and Order situation in Bihar

डा० जगन्नाथ मिश्र : (बिहार) : उप सभापति महोदया, एक गंभीर संवैधानिक महत्व के विषय को मैं यहां उठाना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 261 के अंतर्गत यह स्पष्ट कहा गया है कि न्यायालय के सभी निर्णय सभी सरकारों के लिए मान्य होंगे और कार्य-पालिका को बाध्य करेंगे उस पर अमल करने के लिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार में बनी, जब पिछले दिन 29 फरवरी को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि बिहार में कोई प्रशासन नहीं है, अपराध में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किसी स्तर पर प्रशासन में कोई शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है कि वह शासन चलाए। उन्होंने यह भी कहा है, तमाम न्यायालयों की उन्होंने बैठक की और उस बैठक में सभी न्यायाधीशों ने एक मत से कहा कि स्थानीय प्रशासन से उन्हें न्याय कार्यों के सम्पादन करने में कोई सहायता या सहयोग नहीं मिलता है। जो अपराधी जेल में होते हैं, उन्हें सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं किया जाता है और उन लोगों ने सूचना दी कि लगभग 68 हजार मामले पिछले चार वर्षों में सभी जिला न्यायालयों में लंबित हो गए हैं और न्यायालय उन मामलों की सुनवाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि बिहार सरकार का सहयोग उन्हें नहीं मिलता है। इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की है वह अत्यंत ही गंभीर मामला है। उपसभाध्यक्ष महोदय यह भी स्मरणीय है कि इससे पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे, श्री प्रसाद, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि बिहार शासन, राज्य स्तर से, जिला स्तर से न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना लगातार करता रहा है और बिहार सरकार ने कभी किसी स्तर पर सहयोग नहीं दिया है न्याय-पालिका को। दूसरी ओर न्याय-पालिका पर उनका निरंतर दबाव रहता है कि अमुक मामले में इस प्रकार का फैसला दिया जाए, अमुक अपराधी को बेल दी जाए, अमुक अपराधी को बल नहीं दी जाए। इसके फलस्वरूप बिहार में अपराधियों का शासन बन गया है। इसलिए संविधान-सम्मत सरकार बिहार में इस समय नहीं है। ... **(व्यवधान)** . . .

श्री नागमणि : (बिहार) : कोई ऐसी बात नहीं है बिहार में, गलत कह रहे हैं।

डा० जगन्नाथ मिश्र : मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से स्पष्ट होता है और खास तौर से जब पिछले चार वर्ष के अपराधों के आंकड़ों को हम देखते हैं, जो सरकार के स्तर से आंकड़े संकलित किए गए हैं, कि पिछले चार वर्ष के भीतर 27 हजार से अधिक हत्याएं हुई हैं, 9 हजार से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई हैं, जो साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं उनमें 400 से अधिक मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं, खास तौर से गया के डुमरिया और इमामगंज में, वहां के नक्सलियों ने एक तरफ से मुसलमानों की हत्याएं की हैं, जो भूमि-विवाद हुए हैं पिछले चार सालों में, वे करीब-करीब 250 हैं, जिनमें 400 लोग मारे गए हैं, जो जातीय दंगे हुए हैं, उन जातीय दंगों में भी लगभग 400 लोग मारे गए हैं जो पुलिस की ज्यादतियां हुई हैं, लगभग 400 जगहों पर गोलियां चली हैं, जिनमें 200 लोग मारे गए हैं इस बीच में। इन तमाम बातों पर गौर करने के उपरांत ही मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है।

इसलिए भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का, हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, जो एकाएक नागरिक को जान-माल की सुरक्षा के अधिकार दिए गए हैं और जहां कानून के शासन की बात कही गई है कि कानून की नजर में प्रत्येक नागरिक समान है, बराबर है और उन्हें न्याय